

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 792
जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

.....
कालेश्वरम परियोजना

792. श्री बंदी संजय कुमार:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तेलंगाना सरकार ने कालेश्वरम परियोजना की लागत में वृद्धि की है और यदि हां, तो परियोजना को पूरा करने के लिए अनुमानित संशोधित लागत का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार ने परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरा नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण मांगा था और यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कारणों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य सरकार के विरुद्ध की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए कार्य संविदा देने में उचित प्रक्रिया का पालन किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ऐसी स्कीमों के दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के स्थायी विकास और दक्ष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) की सलाहकार समिति ने जून, 2018 में 80190.46 करोड़ रूपए (2015-16 के मूल्य स्तर पर) पर कालेश्वरम परियोजना की अनुमानित लागत को स्वीकार किया। इसे 2020-21 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, तेलंगाना सरकार ने सूचित किया है कि ईंधन, सीमेंट, स्टील में मूल्य की भिन्नता, वास्तविक कार्यान्वयन के अनुसार भिन्नता और जीएसटी कार्यान्वयन इत्यादि के कारण परियोजना की लागत को 88557.44 करोड़ रूपए तक संशोधित कर दिया गया है।

तेलंगाना की राज्य सरकार द्वारा कालेश्वरम परियोजना को उनके अपने संसाधनों से कार्यान्वित किया जा रहा है। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है परियोजना के पैकेज निर्माण कार्य को पूरी पारदर्शिता को बनाए रखते हुए ई-प्रापण निविदा प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विधिवत प्रदान किया जाता है। कुछ बैराजों को पूरा कर दिया गया है। वितरण नेटवर्क का कार्य जारी है और कार्यक्रम के अनुसार पूरा होने की योजना है, ताकि कमान क्षेत्र को दिसंबर, 2020 से इसका लाभ मिल सके।